

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:—ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/ दिनांक:—

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/997 दिनांक 19.5.09 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यालय सहायक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था। अब निम्नलिखित वरिष्ठ लिपिकों की संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफा खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका के आधार पर वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय सहायक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री शंकरलाल देवाणी	18.12.57	सामान्य
2	श्री कन्हैयालाल	18.7.55	सामान्य
3	श्री गयासुद्दीन	10.2.53	सामान्य
4	श्री बच्छराज ओझा	20.10.57	सामान्य
5	श्री जयप्रकाश जैन	23.8.53	सामान्य
6	श्री बालकृष्ण केवल्या	29.10.58	सामान्य
7	श्री ओमप्रकाश पुरोहित	2.5.55	सामान्य
8	श्री जियाराम राव	5.5.50	सामान्य
9	श्रीजयन्तीलाल श्रीमाली	25.3.51	सामान्य
10	श्री सोहनाराम राठी	20.1.57	अजा

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे।



अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1093

दिनांक:- 2/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर